न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–17 / 2024 दायर दिनांकः 30.07.2024

GCMS NO:- 2024/206 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

कस्तुरा आ0 जोरू जाति बैरवॉ नि0 दौलतपुरा हाल नि0 रघुनाथपुरा तहसील नैनवॉ।

– प्रार्थी

बनाम

गीता बाई पुत्री औंकार पत्नी हेमराज जाति बैरवॉ नि0 दौलतपुरा हाल नि0 116 / 201 J.J Camp C8N Block Badli Village Delhi-110042 वगैरह। (कुल 38)

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से वकील श्री हरजीलाल बैरवॉ।

निर्णय दिनांक 27.05.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम दौलतपुरा प.म. दुगारी तहसील नैनवॉ मे खसरा नम्बर 917 रकबा 1.3106 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1 / 2 निहित है।

प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित संयुक्त खातेदारी आधिपत्य एवं हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 917 पर जाने के लिए 12 फुट चौडा रास्ता ग्राम दौलतपुरा से रघुनाथपुरा जाने वाले आम रास्ता ग्रेवल रोड से पूर्व दिशा मे खसरा नम्बर 922 मे होकर खसरा नम्बर 914 के मध्य मेर पर होकर आगे खसरा नम्बर 5050 / 917 की मेर पर होकर आगे 915 मे से होकर खसरा नम्बर 917 मे पहुंचता है जिसको नक्शा परिशिष्ट के मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त भूमि पर जाने का अन्य कोई दुसरा रास्ता नही है। तथा उक्त रास्ते को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 27 ने कांटों की बाड लगाकर कब्जा कर लिया है। प्रार्थी ने जब अप्रार्थीगणों से रास्ता खुलासा करने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 27 ने प्रार्थी के साथ मारपीट की तथा अप्रार्थीगणों ने प्रार्थी से कहा कि दुंबारा इस रास्ते से आने पर प्रार्थी को जान से खतम करने या प्रार्थी के साथ गंभीर मारपीट कर हाथ पांव तोडने की गंभीर धमकियां देते है और कहते है कि तुम्हे इस रास्ते से किसी भी किमत पर आवागमन नही करने देंगे। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। हमने प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी द्वारा जिस खसरा नम्बर 917 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, वह शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी

नैनवॉ